




# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश  
क्रमांक/1886/जि.पं./प्र.मं.आ.यो./2016-17

राजनांदगांव दिनांक 17/11/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/15/अमुस/पंग्राविवि/2017 दिनांक 07/01/2017 के अनुसार जिला पंचायत राजनांदगांव प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जनपद पंचायत राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ अंतर्गत आवास मित्र के रिक्त कलस्टर पर सेवा देने हेतु उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 05 एवं 06 में दर्शित जनपद पंचायत के कलस्टर अंतर्गत नीचे लिखी शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु सूचित किया जाता है :-

| क्र. | आवास मित्र का नाम | पिता/पति का नाम       | निवास का पता  | जनपद पंचायत का नाम | कलस्टर (ग्राम पंचायत) |
|------|-------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 1    | 2                 | 3                     | 4   | 5                  | 6                     |
| 1    | रीना चन्द्राकर    | श्री जितेन्द्र चंदाकर | ग्राम जंगलेश्वर पो.कन्हारपुरी तह. जिला राजनांदगांव          | राजनांदगांव        | खैरा र                |
| 2    | तृप्ति देवांगन    | श्री मोहनलाल देवांगन  | ग्राम बोरी तह.जिला राजनांदगांव                              | राजनांदगांव        | बोरी                  |
| 3    | रश्मि देवांगन     | श्री कमलेश देवांगन    | ग्राम कलडबरी पो. डुमरडीहखुर्द जिला राजनांदगांव              | राजनांदगांव        | पदुमतरा               |
| 4    | राकेश कुमार       | श्री विष्णुराम        | ग्राम बम्हनी पो.धनगांव जिला राजनांदगांव                     | राजनांदगांव        | सुकुलदैहान            |
| 5    | जयप्रकाश सिंह     | श्री हरिचरण सिंह      | ग्राम भोथीपारखुर्द, पो.सुरगी, तह. जिला राजनांदगांव          | राजनांदगांव        | सुरगी                 |
| 6    | नंदकिशोर दास      | श्री गणेश्याम दास     | ग्राम अचानकपुरभाठापारा, पो. भेडीकला, जिला राजनांदगांव       | राजनांदगांव        | सुन्दरा               |
| 7    | मनीष कुमार        | श्री कुमुंदराम        | ग्राम बरबसपुर, पो उपरवाह, जिला तह राजनांदगांव               | राजनांदगांव        | उपरवाह                |
| 8    | विशाल कोसले       | श्री मंगलुराम कोसले   | ग्राम कातलवाही, पो. देवकटटा, तह. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव | डोंगरगढ़           | जटकन्हार              |
| 9    | जयप्रकाश साहू     | श्री अलालराम साहू     | ग्राम/पो. पटपर, तह. डोंगरगढ़, थाना चिचोला, जिला राजनांदगांव | डोंगरगढ़           | राका                  |

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)




## कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ क्रमांक / 1887 / जि.पं. / 2016-17  
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव दिनांक 17/5/2017

- 1 अपर मुख्य सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2 संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास आयुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 3 कलेक्टर जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
- 4 उप संचालक पंचायत जनसंपर्क अधिकारी, जिला राजनांदगांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत- राजनांदगांव/छुरिया को सूचनार्थ। आवास मित्र का मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के पश्चात् कार्य कराना सुनिश्चित करें तथा उपस्थिति से इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 6 सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु..... की ओर सूचनार्थ एवं दि. 27.05.2017 तक जनपद पंचायत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)



## कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

शर्त:-

- 1 **प्रोत्साहन राशि:-** आवास मित्र को प्रति पूर्ण आवास के मान से 1000/-रूपये प्रोत्साहन राशि की पात्रता उन्हे आबंटित कलस्टर के आवासो को 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष में पूर्ण कराने पर ही होगी। प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 04 प्रतिशत आकस्मिक निधि से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .....द्वारा भुगतान किया जावेगा
- 2 **अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि:-** यदि कोई आवास मित्र संबंधित कलस्टर में अपने प्रभार के ग्राम पंचायतो में निर्मित होने वाले आवास को 06 माह में पूर्ण करा लेते है, तो उन्हे प्रति पूर्ण आवास पर 200/- रूपये का प्रोत्साहन राशि मानदेय के अतिरिक्त पृथक से प्रदाय किया जावेगा। लेकिन आवास 09 माह के पश्चात् पूर्ण कराने पर प्रति आवास की दर से उनके मानदेय में 200/- की कटौती की जावेगी। 01 वर्ष पश्चात् आवास निर्माण पूर्ण कराने पर उन्हे कोई मानदेय देय नही होगा।
- 3 **समयावधि:-** आवास मित्र की सेवा अवधि उनके प्रभार के कलस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी या शासन द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशो के तहत होगी।
- 4 **अवधि का गणना:-**आवास मित्र के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना आवास स्वीकृत होने के साथ ही की जावेगी जो अधिकतम 01 वर्ष होगी।
- 5 **जॉब चार्ट:-** हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
  - 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष की समय-सीमा में आवास पूर्ण करना।
  - आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत समन्वय कराना।
  - हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
  - आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में फोटो तथा Inspection Report की MIS Entry सुनिश्चित कराना।
  - जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य को करना।
- 6 **विशेष:-**आवास मित्र प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सबंध में शासन- प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशो का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 7 यह कार्य पूर्णतः अस्थायी है। आवास मित्र को शासकीय कर्मचारी नही माना जावेगा।
- 8 आवास मित्र को किसी भी प्रकार के पेंशन/उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
- 9 शासन के नियमो एवं शर्तो के पालन के आधार पर एवं शासन द्वारा जारी समस्त नियमों व शर्तो के पालन पर यह आदेश मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)